फाइल

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–4815 / 1–10–2007–14(45) / 2003

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2007

विषयः– लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान मद में न्यूनतम धनराशि का वितरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–3767 / 1–10–2007–रा.–10, दिनांक 06 सितम्बर, 2007 में इंगित प्राविधान, जिसके अन्तर्गत प्रदेश मे दैवी आपदा की सभी मदों में दी जाने वाली समस्त राहत सहायता धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

2. उक्त इंगित प्राविधानों को सम्यक् विचारोपरान्त अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **दैवी आपदा की सभी मदों में दी जाने वाले रू. 1000 / – से कम की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू.1000 / – या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय।**

3. जिलाधिकारी जनपद में यह व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे कि बियरर चेक प्रत्येक दशा में केवल लाभार्थी को ही प्राप्त हो एवं इसका कतई दुरूपयोग न हो सके। यथा संभव बैंक शाखा स्तर पर कैम्प लगाकर लाभार्थियों को उपरोक्त चेक दिये जाने एवं उनको भुगतान प्राप्त कराने की व्यवस्था भी की जाय। बियरर चेक के वितरण में किसी भी अनियमितता के लिए सम्बन्धित राजस्व अधिकारी / कर्मचारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

4. जिन पात्र कृषकों को पूर्व में एकाउन्ट पेयी चेक जारी किया जा चुका है तथा उनको अभी तक भुगतान प्राप्त न हो सका हो तो उन्हें भी पुराना चेक वापस प्राप्त करते हुए नया 'बियरर चेक' जारी कर दिया जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी. स.–ई–5–1886 / दस / 2007, दिनांक 06.12.2007 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया उक्त आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

12(36)03

संख्या–4815(1)/1–10–2007–14(45)/2003 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा. राजस्व मंत्री के निजी सचिव।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रिमंडलीय सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व।
5. प्रमुख सचिव गृह, सिंचाई, लोक निर्माण, कृषि, ऊर्जा, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन, पशुधन, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग।
6. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार(आडिट) प्रथम, उ.प्र.,इलाहाबाद।
7. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ.प्र., लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उ.प्र., लखनऊ।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग–5
12. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग–6/11
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ओम. प्रकाश)
उप सचिव।